

5/1/18

2018/00166

RCMS  
Pw

प्रपत्र-6

“खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र”  
(स. भू राजस्व अधिनियम, 1956. की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

चौहान

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम धालु की तला की जमाबन्दी

संवत् 2071-74 खाता संख्या 27 में -

अग्रिम हिस्सा 2/15 आमनत पुत्री मारुत का है,  
जबकि शुरु हिस्सा 7/15 है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

हम आमनत, दीनत <sup>कमरुद्दीन</sup> कल्ल सांखने प्रार्थी  
क्याज करते हैं कि वर्तमान में मौजा धालु की तला आमनत  
में जमाबन्दी संवत् 2071-74 में आमनत का हिस्सा 2/15  
हो दर्ज है जबकि नामा सं 754 में आमनत का  
हिस्सा 7/15 दर्ज है, आमनत का हिस्सा 2/15 की  
जगह 7/15 हिस्सा शुरु किया जावे।

दिनांक

आमनत  
दीनत कमरुद्दीन

प्रमाण सं 52118 दि 18/5/18

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

सि. निवेदन है कि ग्राम डालु का तला में डामन का हि. नं. 244/63  
जमाकरी संवत् 2071-74 में 2/15 दर्ज है, जबकि शुद्ध हिस्सा नमा सं 6754 में  
7/15 है। आमन का हि. 2/15 की जाह 7/15 शुद्ध करने की  
अनुशंसा की जाती है।

18/5/18

पं. वि. डामर

18/5/18

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

सि.

हल्का पटवारी विनय डामर व डामर के रिपोर्ट उद्योग। उद्योग  
अनुशंसा डालु का तला में 244/63 में डामन का हि. 2/15  
जमाकरी संवत् 2071-74 में 7/15 दर्ज है। शुद्ध करने की अनुशंसा की जाती है।

↓

तहसीलदार (भू. अ.) सेइवा

आदेश

तहसीलदार सेइवा, डामर सेइवा, पटवारी हल्का विनय डामर से प्राप्त जंच रिपोर्ट  
एवं जमीनी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश दस्तवेजों के आधार पर  
जमीनी का प्रार्थना पत्र लीकार कर जमीनी का हिस्सा 2/15 के  
स्थान पर 7/15 जमाकरी में दर्ज करने का आदेश दिया  
जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामत करने का  
तहसीलदार सेइवा को आदेश दिया जाता है। पत्रवली फाइल  
सुमार डेस्क ट्रांसमिल दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी  
उप खण्ड अधिकारी